

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1778]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 2016/आषाढ़ 23, 1938

No. 1778]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 2016/ ASADHA 23, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2016

[आयकर]

का. आ. 2425(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 10गक के उपनियम (7) के परंतुक के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92ग की उपधारा (2) के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जहां धारा 92ग के तहत निर्धारित आर्म्स लेन्थ मूल्य तथा वह मूल्य जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन वास्तविक रूप में हुआ है, के बीच अंतर थोक व्यापार के लिए परवर्ती के एक प्रतिशत और अन्य सभी मामलों में तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, उस स्थिति में वह मूल्य जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन वास्तविक रूप में हुआ है, को कर निर्धारण वर्ष 2016-2017 के लिए आर्म्स लेन्थ मूल्य समझा जाएगा।

व्याख्या:- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, “थोक व्यापार” का अर्थ माल के व्यापार के उस अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन से है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, नामश:-

- (i) तैयार माल की खरीद की लागत ऐसी व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित कुल लागत का अस्सी प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो; और

(ii) ऐसे माल की औसत मासिक अंतिम माल सूची ऐसी व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित बिक्री का दस प्रतिशत अथवा उससे कम हो ।

[अधिसूचना संख्या 57/2016 फा. सं. 500/1/2014-एपीए-II]

शोभन कर, निदेशक